Fax

स्पीड पोस्ट
SPEED POST

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

सं. केबीबी/1/2013/एसटीजीआरजे/डीईएलएएल/आर.यू.-I

छठी मंजिल, 'बी' विंग, लोकनायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
6TH Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110003

दिनांक : 10-07-2014

सेवा में,

सचिव,
राजस्व विभाग,
राजस्थान सरकार,
जयपुर

विषय: **अनुसूचित जनजाति परिवार की अवैध रूप से हड़पी गयी पुस्तैनी कृषि भूमि को वापस दिलाने के संबंध में श्रीमती किशोरी बाई बेवा मांगीया गमेती निवासी चिकलवास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राजस्थान) का परिवाद।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस आयोग के समसंख्यक पत्र दिनांक 19.11.2013 के संदर्भ में कथन है कि मामले में आपके यहां से अभी तक वांछित एवं अपेक्षित कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग को प्राप्त नहीं हुई है।

चूंकि मामला आयोग में लंबित है। अतः आयोग के माननीय अध्यक्ष, डा0 रामेश्वर उरांव ने इस प्रकरण पर चर्चा एवं सुनवाई हेतु दिनांक **21.07.2014 को 12:00** बजे जिला कलेक्टर, उदयपुर सहित आपके साथ बैठक निश्चित की है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मामले से संबंधित सभी मूल दस्तावेजों सहित उक्त अनुसूचित तिथि को उपरोक्त पते पर **वैयक्तिक रूप में** आयोग के समक्ष उपस्थित होने का कष्ट करें।

भवदीय,

के० डी० बन्सौर

(के.डी. बन्सौर)
निदेशक

प्रतिलिपि:

1. श्री आशुतोष ए. टी. पेडणेकर, जिला कलेक्टर, उदयपुर, राजस्थान को उनके पत्र संख्या सतर्कता/2014/39 दिनांक 23.06.2014 के संदर्भ में, कृपया उपरोक्त तिथि को आयोग के समक्ष उपस्थित होवें।
2. श्रीमती किशोरी बाई बेवा मांगीया गमेती निवासी चिकलवास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राजस्थान) को सूचनार्थ।
3. आयोग के माननीय अध्यक्ष के निजी सचिव को सूचनार्थ।
4. एसएसए, एनआईसी।

1822-24
10/7/14

जारी किया
ISSUED

के० डी० बन्सौर

(के.डी. बन्सौर)
निदेशक